# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**श्री मथरालाल गुर्जर** विपक्षी :–**राज्य**

किस्म मुकदमा :–**विविध आ.9नि.4** पत्रावली संख्या :–**34/24 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :–**2024/141**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक : 24.03.2026<br>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की सुनी गई।<br>अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। जहॉ तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थीगण का कथन है कि प्रकरण में 03.04.2023 की पेशी वास्ते साक्ष्यवादी नियत थी। लेकिन उक्त दिनांक को अवकाश होने से दिनांक 04.04.2023 को पेशी नियत कर अमद हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। मुझ प्रार्थी को जानकारी होते हुए नकले प्राप्त कर तत्काल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी को अपने अधिकारो के प्रति सजग रहना चाहिए था। परन्तु वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।<br>मूल पत्रावली संख्या 173/12 वाद उनवान मथरालाल बनाम राज्य का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 04.04.2023 को वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का था। जिसको केवल मात्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसमें कृषि भूमि में हक अधिकार तय नही किए गए। प्रकरण साक्ष्यवादी की स्टेज पर है। हम प्रार्थी द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से सहमत है। प्रकरण कृषि भूमि में घो[illegible] होने से प्रार्थीगण के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। [illegible] कारण से [illegible] वाद को पुनः नम्बर पर लिया | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:45 IST
Reason: SelfAttested

जाकर सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाया जाता हैं।

**—: आदेश :—**

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 173/12 वाद उनवान मथरालाल बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 04.04.2023 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिये जाते है। उभय पक्षकारान मूल वाद में दिनांक 18.06.2026 को उपस्थित रहे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO)मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:45 IST
Reason: SelfAttested